रिविजनल सिविल

न्यायमूर्ति *पी. सी. पंडित* के समक्ष

केहर सिंह, - याचिकाकर्ता।

बनाम

सतबीर, आदि, - *उत्तरदाता।*

1970 का सी. आर. नं. 1061.

9 मार्च, 1971.

*सिविल प्रक्रिया संहिता (*1908 का अधिनियम V) - आदेश *9 नियम* 6 *और 13 और, आदेश 17,* नियम 1 *और 3 - ट्रायल कोर्ट प्रतिवादी के साक्ष्य को उसके चूक पर बंद करना और वादी को सबूत पेश करने का आदेश देना - ऐसा आदेश - चाहे आदेश* 17 *नियम 3 के तहत* हो - एकपक्षीय *प्रतिवादी के साक्ष्य के बंद होने के बाद पारित डिक्री - इस तरह के डिक्री को रद्द करने के लिए आवेदन - चाहे आदेश* 9 *नियम* 13 के तहत आता है।

यह माना गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 17 के नियम 1 के उप-नियम (3) के तहत, उपयोग किए गए शब्द हैं "न्यायालय मुकदमे के साथ तुरंत आगे बढ़ेगा" जो संहिता के आदेश 17, नियम 3 में होने वाले "इस तरह के डिफ़ॉल्ट के बावजूद मुकदमे का फैसला करने के लिए आगे बढ़ें" शब्दों से अलग हैं। जहां मुकदमे में प्रतिवादी के साक्ष्य को बंद करने का आदेश देने के बाद मुकदमा मुकदमे पर तुरंत फैसला करने के लिए आगे नहीं बढ़ता है, लेकिन वादी को अपने सबूत पेश करने का आदेश देकर मुकदमा *आगे बढ़ता* है, आदेश संहिता के आदेश 17, नियम 1, उप-नियम (3) के तहत है, न कि आदेश 17, नियम 3 के तहत।

(पैरा 9)

यह माना गया कि जहां साक्ष्य को बंद करने का आदेश आदेश 17 नियम 1 (3) के तहत पारित किया गया है, पीड़ित पक्ष का उपाय आदेश 17 के नियम 2 के तहत है और इसलिए इस तरह पारित एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने के लिए संहिता के आदेश 9, नियम 13 के तहत एक आवेदन निहित है।

सी.पी.सी. की धारा 115 के तहत रोहतक के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्री आरएल गर्ग के दिनांक 13 मार्च, *1970 के आदेश में संशोधन के लिए* याचिका, *जिसमें सोनीपत के प्रथम श्रेणी के उप-न्यायाधीश श्री तरलोचन सिंह के दिनांक 25 मई के आदेश की पुष्टि की गई है।* 1968 *आवेदन को खारिज कर दिया।*

एच.एस. याचिकाकर्ता की ओर से हुड्डा, वकील।

प्रतिवादियों के लिए रामपत ढैया, अधिवक्ता।

निर्णय

न्यायमूर्ति *पी. सी. पंडित* , —(1) 14 अक्टूबर, 1966 को सतबीर सिंह और अन्य ने केहर सिंह के खिलाफ बाही एंट्री के आधार पर 2,155 रुपये की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया ।

2.मुकदमे का प्रतिवादी ने विरोध किया, जिसने दलील दी कि वह पहले ही भुगतान कर चुका है।

3. मुद्दों को तय करने के बाद, प्रतिवादी को अपने सबूत पेश करने के लिए बुलाया गया था, क्योंकि कथित राशि के भुगतान को साबित करने की जिम्मेदारी उस पर थी। उन्होंने 1 अगस्त, 1967 को डीडब्ल्यू 1 के रूप में खुद की जांच की। बाद में 20 नवंबर, 1967 को उनसे जिरह की गई, जिस तारीख को उन्होंने रिसाल सिंह, डीडब्ल्यू 2 का भी निर्माण किया। चूंकि उस तारीख को कोई अन्य गवाह मौजूद नहीं था, इसलिए उन्हें 27 नवंबर, 1967 को अपने साक्ष्य पेश करने का अंतिम अवसर दिया गया था, जो लागत के रूप में 20 रुपये के भुगतान के अधीन था, वह पहले ही इस उद्देश्य के लिए दो अवसरों का लाभ उठा चुके थे। उस तारीख को, उन्होंने एक अन्य गवाह प्रताप सिंह, डीडब्ल्यू 3 से पूछताछ की, और कहा कि वह दो और गवाहों, डॉ सेठी और एक हस्तलेखन विशेषज्ञ को पेश करेंगे। उनके अनुरोध पर, मामले को 13 दिसंबर, 1967 तक स्थगित कर दिया गया था, और उन्हें लागत के रूप में 15 रुपये का भुगतान करने के लिए भी कहा गया था। उस दिन, न्यायालय द्वारा पारित आदेश इस प्रकार है:

"उपस्थित: पार्टियों के वकील।

व्यक्तिगत रूप से वादी।

प्रतिवादी उपस्थित नहीं है.

विशेषज्ञ मौजूद नहीं है। प्रतिवादी ने विशेषज्ञ को अपने साथ लाने का बीड़ा उठाया था। प्रतिवादी ने लागत का भुगतान नहीं किया है। प्रतिवादी के साक्ष्य को आदेश 17 नियम 3 C!P.C. के तहत बंद कर दिया गया है। वादी के साक्ष्य के लिए 19 दिसंबर, 1967 को पेश किया जाएगा। गवाहों को तलब किया जाए।

4.19 दिसंबर, 1967 को वादी, अपने वकील के साथ उपस्थित था और प्रतिवादी की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ और अदालत ने आदेश दिया कि एक-दूसरे के साक्ष्य दर्ज किए जाएं! इसके बाद, वादी द्वारा चार गवाहों का परीक्षण किया गया, जिसमें वह भी शामिल थे। इसके बाद वादी के वकील का बयान लिया गया और उसने अपने साक्ष्य बंद कर दिए। इसके बाद मामले को बहस के लिए 20 दिसंबर, 1967 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। उस दिन, दलीलें सुनी गईं और न्यायालय ने आदेश के लिए 21 दिसंबर, 1967 की तारीख तय की। उस तारीख को

फैसला तैयार नहीं था और मामले को 30 दिसंबर, 1961 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, जिस तारीख को वादी के मुकदमे को 2.155 रुपये के लिए डिक्री किया गया था। उसी दिन, प्रतिवादी ने इसे रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर किया।

13 दिसंबर, 1967 को उनके खिलाफ एकपक्षीय आदेश दिया गया। तीसरे दिन अर्थात् 1 जनवरी, 1968 को उन्होंने *30 दिसम्बर, 1967 को पारित* एकपक्षीय डिक्री को निरस्त करने के लिए एक और आवेदन किया।

5. इन दोनों आवेदनों को ट्रायल कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि प्रतिवादी के लिए उचित तरीका 30 दिसंबर, 1967 के डिक्री के खिलाफ अपील दायर करना था, जिसे गुण-दोष के आधार पर पारित किया गया था। इसके लिए विद्वान न्यायाधीश ने लाई चंद बनाम *काका राम और एक अन्य* (1), लाहौर उच्च न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया , जहां यह देखा गया था:

> "जहां किसी अदालत ने आदेश 17, नियम 3 के तहत कार्य करने के गुण-दोष के आधार पर डिक्री पारित की है, तो जिस पक्ष के खिलाफ डिक्री पारित की गई है, वह इसे *एकतरफा डिक्री के रूप में नहीं मान सकता है* और इसे रद्द करने से इनकार करने वाले आदेश के खिलाफ अपील नहीं कर सकता है, लेकिन उसे डिक्री के खिलाफ अपील करना चाहिए।

6. इस फैसले से व्यथित होकर, प्रतिवादी ने रोहतक के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील की। उन्होंने ट्रायल जज के आदेश की पुष्टि की और अपील खारिज कर दी। हालांकि, अपने फैसले के दौरान, उन्होंने पाया कि ट्रायल जज ने 13 दिसंबर, 1967 को आदेश पारित करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 17, नियम 3 के तहत कार्यवाही में अवैध रूप से काम किया। प्रतिवादी पुनरीक्षण के लिए यहां आया है।

7. 13 दिसंबर, 1967 के आदेश को लेते हुए, ट्रायल कोर्ट, मेरे विचार से, यह देखने में सही नहीं था कि प्रतिवादी के साक्ष्य सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 17, नियम 3 के तहत बंद कर दिए गए थे। उस प्रावधान में लिखा है:

> "यदि किसी मुकदमे का कोई पक्षकार, जिसे समय दिया गया है, अपने साक्ष्य पेश करने, या अपने गवाहों की उपस्थिति का कारण बनने में विफल रहता है, या मुकदमे की आगे की प्रगति के लिए आवश्यक कोई अन्य कार्य करने में विफल रहता है, जिसके लिए समय की अनुमति दी गई है, तो अदालत इस तरह की चूक के बावजूद, मुकदमे पर तुरंत फैसला करने के लिए आगे बढ़ सकती है।

8.चूंकि विद्वान न्यायाधीश प्रतिवादी के साक्ष्य को बंद करने के बाद मुकदमे का फैसला करने के

लिए आगे नहीं बढ़े, इसलिए यह नियम लागू नहीं हो सका।

(1) A.LR. 1927 Lah. 562(1).

ऐसी स्थिति पर लागू कानून का प्रावधान इस न्यायालय द्वारा जोड़ा गया आदेश 17, नियम 1, उप-नियम (3), नागरिक प्रक्रिया संहिता होगा। यह नियम कहता है -

"आदेश 23, नियम 3 के प्रावधानों के अधीन,

1. न्यायालय, यदि पर्याप्त कारण दिखाया जाता है, तो मुकदमे के किसी भी चरण में पक्षकारों या उनमें से किसी को समय दे सकता है और समय-समय पर वाद की सुनवाई स्थगित कर सकता है।

2. * ** |

3. जहां उप-नियम (1) के तहत स्थगन देने के लिए पर्याप्त कारण नहीं दिखाया गया है, तो अदालत मुकदमे के साथ आगे बढ़ेगी।

9.यह ध्यान दिया जाएगा कि नियम 1 के उप-नियम (3) के तहत, उपयोग किए जाने वाले शब्द हैं "न्यायालय *मुकदमे के साथ आगे बढ़ेगा*' जो आदेश 17, नियम 3 में होने वाले "इस तरह के डिफ़ॉल्ट के बावजूद मुकदमे का फैसला करने के लिए आगे बढ़ें" शब्दों से अलग हैं । वर्तमान मामले में, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, विचारण न्यायाधीश ने 13 दिसम्बर, 1967 को मुकदमे पर *निर्णय लेने के लिए कार्यवाही नहीं की, लेकिन उन्होंने यह आदेश देते हुए मुकदमा* आगे बढ़ाया कि वादी को 19 *दिसम्बर, 1967* को अपना साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए। 13 दिसंबर, 1967 को पारित ट्रायल कोर्ट का आदेश, आदेश17, नियम 1, उप-नियम (3), सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत होना चाहिए था। जो भी हो, वह आदेश अकेले इस न्यायालय द्वारा संशोधित किया जा सकता था। जहां तक वह आदेश पक्षकारों के वकीलों की उपस्थिति में दिया गया था, यह नहीं कहा जा सकता था कि इसे एकतरफा बनाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप एकपक्षीय आदेश को रद्द करने के लिए कोई आवेदन सक्षम नहीं था। इसलिए, उस उद्देश्य के लिए 30 दिसंबर, 1967 को प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन को गलत तरीके से पेश किया गया था और दोनों न्यायालयों द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया था, हालांकि उन्होंने ये कारण नहीं दिए हैं।

10. 30 दिसंबर, 1967 को किए गए एकपक्षीय डिक्री *को रद्द करने के लिए प्रतिवादी द्वारा 1 जनवरी, 1968 को दायर किए गए दूसरे आवेदन पर आते हुए,* यह देखा जाएगा कि 19 दिसंबर, 1967 को पारित आदेश 17, नियम 2 के प्रावधानों के साथ आदेश 9, नियम 6, सिविल प्रक्रिया संहिता, आदेश 17^ नियम 2 इस प्रकार पढ़ता है: '

पीठ ने कहा, "जहां किसी भी दिन मुकदमे की सुनवाई स्थगित की जाती है, पक्षकार या उनमें से कोई भी पेश होने में विफल रहता है।

अदालत आदेश IX द्वारा इस संबंध में निर्देशित किसी एक तरीके से मुकदमे का निपटारा करने के लिए आगे बढ़ सकती है या ऐसा अन्य आदेश दे सकती है जो वह उचित समझे।

आदेश 9, नियम 6 का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार है: –

(1) जहां वादी उपस्थित होता है और प्रतिवादी सुनवाई के लिए बुलाए जाने पर उपस्थित नहीं होता है, तो-

(ए) यदि यह साबित हो जाता है कि समन विधिवत रूप से तामील किया गया था, तो न्यायालय *एकपक्षीय कार्यवाही कर सकता है.*

* * * *".

11.ऐसा होने पर, 30 दिसंबर, 1967 को पारित डिक्री प्रतिवादी के खिलाफ एकतरफा थी। *एकपक्षीय* डिक्री से छुटकारा पाने का उपाय आदेश 9, नियम 13, नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत एक आवेदन करके किया गया था। नीचे की अदालतों ने यह देखते हुए कानून में गलती की थी कि एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने के लिए प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन सक्षम नहीं था और उसके पास उपलब्ध एकमात्र उपाय डिक्री के खिलाफ अपील दायर करना था।

12.इस बिंदु पर, विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने कहा-

"हालांकि, तथ्य यह है कि ट्रायल कोर्ट ने आदेश 17, नियम 3, सीपीसी के तहत कार्य करने का इरादा रखते हुए डिक्री पारित की, हालांकि, जैसा कि ऊपर कहा गया है, इन प्रावधानों को आकर्षित नहीं किया जा सकता है। तथ्य यह है कि योग्यता के आधार पर एक डिक्री पारित की गई थी और डिक्री के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई है। इसलिए, मेरी यह भावना के बावजूद कि ट्रायल कोर्ट द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया गलत थी और गुण-दोष के आधार पर पारित डिक्री सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए एक *पक्षीय* डिक्री थी, मैं ऊपर उल्लिखित लाहौर फैसले के मद्देनजर वर्तमान अपीलकर्ता को राहत देने में असहाय हूं।

13.यह पाए जाने के बाद कि ट्रायल कोर्ट ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 17, नियम 3 के तहत गलती से काम किया और आगे कि 30 दिसंबर, 1967 को पारित डिक्री सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए एक *पक्षीय* डिक्री थी, विद्वान न्यायाधीश ने मेरे विचार में

कानून में यह कहकर गलती की थी कि प्रतिवादी को इसके खिलाफ अपील दायर करनी चाहिए थी और इसे रद्द करने के लिए आवेदन सक्षम नहीं था।

14.जहां तक लाल *चंद के* मामले (1) में निर्णय का संबंध है, जिस पर दोनों न्यायालयों द्वारा भरोसा किया गया है, यह कहने के लिए पर्याप्त है कि विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने स्वयं कहा था कि उस मामले की रिपोर्ट बहुत छोटी थी और इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि क्या आदेश 17 के तहत आदेश के बाद कोई स्थगन दिया गया था। नियम 3, सिविल प्रक्रिया संहिता, पारित किया गया था। इसके अलावा, इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था - "इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि ट्रायल कोर्ट ने आदेश 17, नियम 3, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत गुण-दोष के आधार पर मुकदमा तय किया ... ,.."। तथापि, वर्तमान मामले में, मैं पहले ही कह चुका हूं कि दिनांक 13 दिसम्बर, 1967 का आदेश वास्तव में आदेश 17, नियम 1, उप-नियम (3) के उपबंधों के अधीन था न कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 17, नियम 3 के अधीन।

15.ऊपर मैंने जो कुछ कहा है, उसे ध्यान में रखते हुए, मैं आंशिक रूप से इस संशोधन को स्वीकार करता हूं, नीचे दिए गए न्यायालयों के आदेशों को रद्द करता हूं और ट्रायल कोर्ट को निर्देश देता हूं कि वह प्रतिवादी द्वारा दायर 1 जनवरी, 1968 के आवेदन का निपटारा करे, जिसमें 30 दिसंबर, 1967 *के एकपक्षीय* डिक्री को गुण-दोष के आधार पर रद्द करने के लिए कहा गया है। इस मामले की परिस्थितियों में, हालांकि, मैं पार्टियों को अपनी लागत को वहन करने के लिए छोड़ दूंगा। पक्षकारों को 5 अप्रैल, 1971 को निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जोगिंद्र जांगड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

हथीन, हरियाणा